चौरियाबरियारपुर - 22/03
GR - 624/03

31.1.19 इस वाद के अभियुक्त चंदन सिंह @ छोटे पे० - विभुति प्रसाद सिंह सुनदन टोला मंझौल थाना - चे० बरियारपुर जिला - बेगूसराय को न्यायालय द्वारा निर्गत N.B.W. के आधार पर गिरफ्तार कर उचित मार्ग रक्षा दल के संरक्षण में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त मार्ग रक्षा दल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करते हैं। गिरफ्तारी की सूचना घरवालों को दी गई है। अभियुक्त को शस्त्र अधि० की धारा 25(1-B) A, 26 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

तत्पश्चात बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त चंदन सिंह उर्फ छोटे का जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिसकी प्रति A.P.O. को दी गई। जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे। दिनांक 8.6.18 को अभिलेख ध्यान पर था तथा वाद की सही जानकारी नहीं होने तथा उचित पैरवी के अभाव में अभियुक्त का बंध-पत्र खंडित कर दिया गया। अभियुक्त ने जानबूझकर जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। अभियुक्त न्यायालय के निर्देशानुसार बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः श्रीमान से अभियुक्त जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। सुना। A.P.O. जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B) A, 26 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्त पूर्व जमानत पर क्रमशः